

कुमाऊँ विश्वविद्यालय
स्लीपी हॉलो, नैनीताल-263001, उत्तराखण्ड



Kumaun University
(Accredited Grade "A" by NAAC)

स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस-सी0/एम0कॉम0)

प्रथम सेमेस्टर



www.kunainital.ac.in

प्रवेश नियम

शैक्षणिक सत्र 2023-24

स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस-सी0/एम0कॉम0) प्रथम सेमेस्टर हेतु प्रवेश नियम

शैक्षणिक सत्र 2023-24

अध्याय-1 साधारण नियम-

- 1-1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1-2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1-3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउंसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फॉर्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय /संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1-4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1-5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1-6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1-7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय-परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1-8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1-9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत “धोखाधड़ी से प्रवेश लेना” माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1-10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1-11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है-

1-	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2-	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3-	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4-	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट - स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा-

(1)	महिलाएँ	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	05 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

- Extension in date of admission upto 30 days
- Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
- Increase in intake capacity up to 5% course-wise. Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institutions.
- Waiving of domicile requirements.
- Facilitation of migration in second and subsequent years.

1-13 स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा-

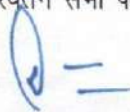
(क)	एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)-	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन-	20 अंक
(घ)	जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/सगाभाई/बहन-	20 अंक
(ङ)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल फ़ेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ)	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ)	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत खेल प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ)	अन्तर-महाविद्यालय स्तर में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी शासन स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट - उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- 1-14** (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातकोत्तर स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।
- (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 1-15** (क) स्नातकोत्तर (एम0 ए0/एम0 एस-सी0/एम0 कॉम0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु -
1. कु0 वि0 वि0 के नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में कुमाऊँ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् होने के बाद एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0 एस-सी0/एम0 कॉम0) कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
 2. विश्वविद्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिये जाने की तिथि से 01 माह के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) परिसर/महाविद्यालय में जमा कर विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 1-16** कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक (व्यवसायिक) कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1-17** (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।
- (ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- 1-18** अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1-19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।



कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस-सी0/एम0कॉम0)

प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम

(शिक्षा सत्र 2023-2024)

अध्याय-2 योग्यता सूची निर्धारण के नियम -

- 2-1** अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
- 2-2** यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य एवं विज्ञान की प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान अथवा वाणिज्य से कला संकाय में प्रवेश लेना चाहता है एवं साथ ही स्नातकोत्तर (कला संकाय) का कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया है अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तित कर कला संकाय के अन्तर्गत परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा।
- 2-3** विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।
- 2-4** शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2-5** परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- 2-6** स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा। परन्तु यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के “सेण्टर ऑफ एडवांस स्टडीज” विभागों में उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों हेतु योग्यताक्रम में आने की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से निर्गत निर्देशानुसार प्रवेश किये जा सकते हैं।
- 2-7** प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसे निर्धारित अर्हता उपाधि बी0ए0 या बी0 काम0 में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत या बी0एस-सी0 में न्यूनतम 45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक होने पर) ही प्रवेश अर्ह किया जाएगा। एतद्वारा निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 2-8** विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (विज्ञान संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत के

साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु केवल स्नातक स्तर में पढ़े हुए विषयों में ही अर्ह माने जायेंगे।

(क) स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहाँ लागू हो) -

अधिमान के रूप में कुमाऊँ विश्व विद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक $I = (X+2Y)$ के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेंगे।

Calculation of Index for P.G.-I Semester Admission. (Wherever Applicable)

$I =$ $X+2Y$ (Merit Index)

$X =$ Marks obtained in all subjects at U.G. level

$Y =$ Total marks obtained at U.G. level in the subject in which admission is requested at P.G.

(Admission would be given to P.G. Semester-I, only in one of the subjects taken at the U.G. level)

2-9

कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा -

कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा। कला संकाय के स्नातकोत्तर स्तर में प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों (भूगोल, चित्रकला, गृहविज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, पुरातत्व शास्त्र, एन्थ्रोपॉलॉजी व सैन्य विज्ञान) में केवल वे ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे जिनका स्नातक स्तर पर वह विषय रहा हो - (उदाहरण भूगोल विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु केवल वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिनका स्नातक स्तर पर भूगोल विषय रहा हो)।

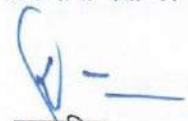
2-10

वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा-

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेगे।

वैधानिक नियन्त्रण -

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।


कुलसचिव

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ-पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा/लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर-

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्राखूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु०/श्रीमती जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर-पिता/अभिभावक